

From no |||

फर्य अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

कंचनलता

बनाम

रूपाल

किस्म मुकदमा :- 53, 158, R.T.A. 4

नंबर 44 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29-10-25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिदावा के जवाब हेतु और समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दि० 5-12-25 को पेश हो।	
5-12-25	वा. एस. एस. स्पगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-1-26 को पेश हो।	
23-1-26	वा. एस. एस. स्पगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-3-26 को पेश हो।	
13-2-26	वादि या की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 15) C.P.C. के तहत राजस्व वाद पर को विद्वा करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादि या स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील वादी ने की। वादि या ने पहचान स्व रूप आधार कार्ड सं. 609866617701 की स्वहस्ताभारित पत्रे पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादि या उक्त राजस्व वाद पर को विद्वा करना चाहती है तथा वादि या डोगे वाद को नहीं चलाना चाहती है।	
	प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादी एवं वकील वादी को सुना। तदनुसार	

क्र. ५५/१५ कंचनलता/दयाल

वादी या के वाद को जरिये विद्रोह ग्यारिज
किया जाता है

पशावली फेंसल कुमार होकर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)